



HAPUR POLICE



प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली

दिनांक 26.09.2026

- थाना सिम्भावली पुलिस ने धोखाधड़ी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
- जिसके कब्जे से कुल 8,250/- रुपये नगदी व एक अवैध चाकू बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्त बैंकों के आस-पास भोले-भाले बुजुर्ग व्यक्तियों को पैसों गिनने में मदद करने के बहाने बनाता था शिकार।

कार्यवाही:-

हापड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 249/2026 धारा 318(4) बीएनएस व थाना कपूरपुर के मु0अ0सं0 151/2026 धारा 318(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को आईटीआई कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 8,250/- रुपये नगदी व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नासिर खान पुत्र फतेह खान निवासी गरिमा गार्डन जन्नती मस्जिद के पास थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 3,450/- रुपये नगदी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 249/2026 धारा 318(4), 317(2) बीएनएस थाना सिम्भावली जनपद हापड़)।
2. 4,800/- रुपये नगदी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 151/2026 धारा 318(4), 317(2) बीएनएस थाना कपूरपुर जनपद हापड़)।
3. एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 326/2026 धारा 60/63 अबकारी अधि0 थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर।
2. मु0अ0सं0 214/2026 धारा 392/411 बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राहुल चौहान थाना सिम्भावली जनपद हापड़।
2. उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापड़।
3. का0 393 रंजीत सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापड़।